कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांकः /व्यवस्थापन/अवशेष मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/दिनॉकः मई 14 ,2018

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 250/XXIII/2018/04(01)/ देहरादून दिनॉक 19 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्याः 392/xxiii/2018/04(01)/2018 दिनॉकः अप्रैल 13, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनॉक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति एवं शासन के पत्र संख्याः 383/xxiii/2018/04(01)2018/TC/देहरादूनः अप्रैल 06, 2018, शासन के पत्र संख्याः 512/xxiii/2018/04(01)2018/TC/देहरादूनः मई 11, 2018 के अनुसार तृतीय चरण के उपरान्त भी व्यवस्थापित न हो पायी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के दिनॉक 15.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिये व्यवस्थापन हेतु प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर दिनॉक 15.05.2018 के अपराह्न 04:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, नैनीताल में आवेदन/ऑफर आंमत्रित किये जाते है। पूर्ण राजस्व पर व्यवस्थापित न हो पाने की दशा में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु अधिकतम राजस्व प्रस्ताव के आवेदन/ऑफर भी आंमत्रित किये जाते है। जिसे जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर वार्ता के उपरान्त निर्णय हेतु आयुक्तालय प्रेषित किया जायेगा। उक्त दुकानों के राजस्व का विवरण निम्नवत् है–

दुकान का प्रकार	मदिरा दुकान का नाम	दिनॉक 15.05.2018 से 31.03.2019 तक राजस्व	दुकान का प्रकार	मदिरा दुकान का नाम	दिनॉक 15.05.2018 से 31.03.2019 तक राजस्व
विदेशी	भतरौजखान	17952414	देशी	नैनीताल रोड हल्द्वानी	37518183
देशी	मंगलपड़ाव	63230485	देशी	भीमताल	28613530
देशी	राजपुरा	55510662	देशी	कालाढूॅगी रोड हल्द्वानी	29897863
देशी	काठगोदाम	49943933	देशी	रामपुर रोड हल्द्वानी	32026717
देशी	रेलवे रोड हल्द्वानी	37223398	देशी	नथुवाखान	19800000

शेष शर्तें उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 250/XXIII/ 2018/ 04(01)/2018/देहरादून दिनॉकः 19 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्याः 392/xxiii/2018/04(01)/2018 दिनॉकः अप्रैल 13, 2018 एवं The Uttarakhand Excise (Settlement of Licence for Retail sale of Country Liquor) Rules, 2001, The Uttarakhand Excise (Settlement of Licence for Retail sale of Foreign Liquor) Rules, 2001 एवं आबकारी अधिनियम 1910 के अनुरूप होंगी। व्यवस्थापन हेतु रिक्त दुकानों से सम्बन्धित अन्य कोई भी विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी का होगा।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

पत्रांकः 635/जि0आ0अधि0/व्यवस्थापन /2018–19/नैनीताल/तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी , नैनीताल।
3. अपर जिलाधिकारी, (प्र०), नैनीताल।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून व उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय बेवसाईट **www.uttrakhandexcise. org** पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाऊॅ मण्डल, हल्द्वानी।
6. उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल परिक्षेत्र।
7. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ बेवसाईट **www.uk.gov.in** पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में दिनांक 15.05.2018 को ही प्रकाशित होने वाले उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र– 1, 2, 3 को कलेक्ट्रेट, विकास भवन, का0 जि0आब0अधि0, समस्त नगर पालिका व नगर निगम, समस्त तहसीलें, उप तहसीलें, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के सूचना पट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ चस्पा करने हेतु प्रेषित।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।